# अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएलएम) नीति

## प्रयोज्यता

यह नीति पीएफसी, इसकी सहायक कंपनियों तथा शाखाओं (विदेश प्रचालनों सहित, जहां स्थानीय कानून लागू हों) पर लागू होगी। तथापि, यह उन सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होगी जिनकी अपनी नीति लागू है।

## केवाईसी नीति के प्रमुख तत्व

इसमें निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं:
(क) ग्राहक स्वीकृति नीति
(ख) जोखिम प्रबंधन
(ग) ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी); और
(घ) लेनदेन की निगरानी

## मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) एवं आतंकवाद के वित्तपोषण (टीएफ) का जोखिम मूल्यांकन

ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेन या वितरण माध्यमों, आदि से संबंधित एमएल/टीएफ के जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं शमन के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा।

## वित्तीय आसूचना यूनिट – भारत (एफआईयू-इंड) को रिपोर्टिंग

आरबीआई के निर्देशों, पीएमएलए तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार संदिग्ध लेनदेन से संबंधित आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर निदेशक, एफआईयू-इंड को उपलब्ध कराई जाएगी।

## गोपनीयता संबंधी दायित्व एवं सूचना का साझा करना

कंपनी और ग्राहक के बीच स्थापित संविदात्मक संबंध के आधार पर प्राप्त ग्राहक संबंधी सभी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

## विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

कंपनी द्वारा प्रत्येक नए ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करते समय तथा वर्तमान ग्राहकों को भी यूसीआईसी प्रदान किया जाएगा। ग्राहक को आवंटित ऋणकर्ता कोड को ही यूसीआईसी माना जाएगा। यदि वही ग्राहक पुनः ऋण प्राप्त करता है, तो प्रत्येक नए ऋण के लिए ऋण संख्या बदल जाएगी, किंतु ग्राहक का ऋणकर्ता कोड पूर्ववत रहेगा।

## नोट

आपसे अनुरोध है कि पीएफसी के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग करें, ताकि कंपनी केवाईसी एवं एएमएल नीति का पूर्णतः पालन कर सके। केवाईसी एवं एएमएल नीति से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा पीएफसी को प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज संबंधित पीएफसी अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं।